

पत्रिका मंजूर  
२६-५-१७

५६ (D) Pro (e)

23 I - A with the  
permission by L.R.D.C  
Simdega vide cable no 407/  
2016-17  
order dt  
22.4.17

विक्रय पत्र

|| लेख्यकारी:- श्री पात्रिक मंजूर पिता स्वो मिखाइल मंजूर  
जाति- उराँय, पेशा- छेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा  
कुबीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा।

आधार कार्ड संख्या 3694 6954 3249

... .. बिक्रेता।

नाम-पत्र संख्या:- 163/2017

-धनरम ठूल्हा मारिडकेर पत्रिका  
मिखाइल मंजूर पिता स्वो  
दिना २६/०५/१७

मिमान लकडा पिता - स्व.  
सन्तोष लकडा गाँ - सिमडेगा  
धोचो लोली थाना + जिला  
सिमडेगा नं: १६/५/१७

अंजल ठावा प्रेषित प्रतिबंधित की  
सूची में इस पत्र का वकाला संख्या  
गरी २६/५/१७

§2§ लेख्यधारी:- श्री विनोद लकड़ा पिता श्री करलुस लकड़ा  
जाति- उराँव, पेशा- खेतीवारी, निवास ग्राम- टैसरा  
कोरकोटटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 3858 6745 0348

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 164/2017

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वेला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदाके लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मुखेलिय एक लाख पनचानबे हजार रुपये अर्के 1,95,000/-  
रुपये होता है ।

§5§ सम्मति:- सराजियात अन्दर मोजा- गोतरा डिप्टीटोली,  
वार्ड नं० 5, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री  
ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 256 दो सौ छमन  
प्लॉट नं० 5206 बावन सौ छः रकबा 1.03 एकड़ में से  
0.05 एकड़ पाँच डिसमिल आवासीय जमीन, जिसपर किसी  
प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया कच्चा रास्ता 10 फीट,

दक्षिण:- प्लॉट नं० 5207,

पूरब :- इसी प्लॉट का आंजीज,

पश्चिम:- प्लॉट नं० 5207,

मालगुजारी 5 पेसा पाँच पेसा आवे सेस सलाना ।

पतिक सिद्ध  
26.5.17

विनोद लकड़ा पिता करलुस लकड़ा  
श्री विनोद लकड़ा पुत्र  
सिमडेगा जिला सिमडेगा  
ता 026/5/2017

§ 1§ मैंने मुझे लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेधे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§ 2§ इसलिये मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में सुखनाथ उराँव वी बुधु उराँव वी बंधु महतो वी बीरसा उराँव के नाम से नांम दर्ज है । सुखनाथ उराँव मेरे बड़े दादा थे । मालगुजारी रसीद मेरे बड़ी दादी चम्पू उराईन के नाम से कटता है जो पंजी II के बुक नं० II पृष्ठ संख्या 103 में दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी का देहान्त हो चुका है । मेरे पिताजी लोग दो भाई थे और दोनों भाइयों के बीच आपसी मौखिक बँटवारा हो चुका था, विक्रीत जमीन मुझे पिताजी के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त है । विक्रीत जमीन मेरे निज हिस्से की है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वी कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के अनुसार विक्रीत जमीन कायमी है तथा लगान पानेवाले का नाम मैनेजर इनफर्बर्ड इस्टेट मीन जानिव टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

§4§ चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाह्वत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 407/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 22.4.17 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 359१११ दिनांक 22.4.17 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर कांक्ज वो दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजारिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरुआ के तहत नहीं है।

पारिकमि  
26.5.17

मैं लेखकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो  
व्यक्त जमीन सिमिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

प्राणिक मिश्र  
26.5.17




प्रमाणित किया जाता है कि प्राणिक मिश्र  
के करीब हाल के फोटो अशुभिम का  
हाथ मेरे सामने दिखा गया।

SP d  
ASW  
26/5/17

प्राणिक मिश्र  
26.5.17

मैं लेखकारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो  
खरीदारी के बाद कुल धारित जमीन सिमिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Veriod Rakra  
26.05.2017.



प्रमाणित किया जाता है कि विनोद  
राकरा के करीब हाल के फोटो अशुभिम  
का हाथ मेरे सामने दिखा गया।

SP d  
ASW  
26/5/17

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Suresh Prasad*  
Advocate

॥ प्रारूपकर्ता ॥ 26/5/17  
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

ढंफक  
मो० मकसुद  
26.5.2017  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।

संलग्नक :-

1. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
2. खिफेता, फ्रेता एवं पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
3. शेड्यूल का मूल प्रति,
4. आदेश एवं अंश रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
5. खतियान का सत्यापित प्रति का छायाप्रति,
6. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,

प्राप्ति मिनट  
41.5.17